उत्तराखण्ड शासन
पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग
संख्या– 84 /XXXVIII–1–20–13(11)/2001
देहरादूनः दिनांकः 16 फरवरी, 2021

अधिसूचना

चूंकि, प्लास्टिक अजैवनाशकारी है एवं पारिस्थितिकी तंत्र के लिये खतरा पैदा करता है। प्लास्टिक मिट्टी की उर्वरता को कम कर पौधों की वृद्धि में बाधा उत्पन्न करता है, नालियों और सीवर को बाधित करता है, जिसके परिणामस्वरूप सीवर व नालियों का पानी बाहर बहने लगता है, जिसका मवेशियों व जंगली जन्तुओं द्वारा इसका भक्षण करने पर उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है, जिससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है या वे असाध्य रोग से ग्रस्त हो जाते हैं;

और चूंकि, प्लास्टिक में मौजूद रंग पिगमेंट, प्लास्टिक में लिपटे खाद्य पदार्थों को दूषित करता है, जो कि स्वास्थ्य के लिये हानिकारक व कैंसर तक का कारण होता है;

और चूंकि, प्लास्टिक से बने उत्पादों को क्षरण होने में कम से कम 100 वर्ष का समय लगता है, क्योंकि प्लास्टिक अजैवनाशकारी होता है। इसके साथ–साथ प्लास्टिक वर्षा के पानी को फिल्टरेशन करने से रोकता है तथा मिट्टी की सतह तक पहुँचने में बाधा उत्पन्न करता है, जिससे भू–गर्भीय जल का पुनर्भरण नहीं हो पाता है;

और चूंकि, प्लास्टिक बैग के खुले में निस्तारित किये जाने के कारण वर्षा के दौरान पानी इन प्लास्टिक बैग में जमा हो जाता है, जो कि मलेरिया, डेंगू आदि वेक्टर जनित रोगों के पनपने के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराता है। प्लास्टिक के खुले में जलाये जाने के कारण कैंसरकारी व बेहद जहरीले पदार्थ जैसे कि डॉई–आक्सिक फ्यूरॉन व हाईड्रोजन सॉयनाईड उत्सर्जित होता है, जो वायुमण्डल प्रदूषित करने के साथ–साथ स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का भी कारण है;

और चूंकि, प्लास्टिक अपशिष्ट व माइक्रो प्लास्टिक के कारण ताज़ा जल व समुद्री जल तथा जैव विविधता के लिए खतरे का कारण है और पर्यटक स्थलों, पर्यावरण दृष्टि से संवेदनशील व हमारे धरोहर, जैसे बुग्याल, ऊँचाई वाले क्षेत्र, कृषि व वन को, इसके फैलने से यह पारिस्थितिकी सेवाओं को भी बाधित करता है;

अतः अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड राज्य में प्लास्टिक पर निम्नानसुार प्रतिबन्ध एवं प्रतिषेध अधिरोपित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. **(क)** कोई भी व्यक्ति, स्वयं या किसी और के माध्यम से जानबूझकर या अनजाने में निम्नलिखित प्लास्टिक/थर्मोकोल/स्टायरोफोम सामान के क्रय, विक्रय, उत्पादन, आयात, भण्डारण, ले जाना, उपयोग व आपूर्ति सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में नहीं करेगाः–
   (एक) किसी भी आकार, मोटाई, माप व रंग के प्लास्टिक कैरी बैग (हैंडल के साथ अथवा बिना हैंडल के) और नॉन–वोवन पॉली प्रोपाईलिन बैग :

परन्तु बायो–कम्पोस्टेबल प्लास्टिक बैग एवं 50 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग, जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट, नगरीय ठोस अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट के परिवहन में उपयोग किये जाते हैं, पर उपरोक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

(दो) थर्मोकोल (पॉलीस्टायरीन), पॉलीयुरेथेन, स्टायरोफोम और इसी तरह के बने एकल उपयोग के डिस्पोजेबल कटलरी या प्लास्टिक जैसे प्लेट, ट्रे, कटोरे, कप, गिलास, चम्मच, काँटा, स्ट्रॉ, चाकू, स्टिरर आदि चाहे वे किसी भी आकार व प्रकार के हों।

(तीन) एकल उपयोग खाद्य पदार्थ के पैकेजिंग कन्टेनर चाहे किसी भी आकार, माप, प्रकार व रंग के हों, जो पुनः चक्रित प्लास्टिक से बने हों व जो खाद्य/तरल पदार्थ को ढ़कने, ले जाने व भण्डारित करने में उपयोग होता हो।

नोटः **कम्पोस्टेबल प्लास्टिक भारतीय मानक** IS 17088:2008 **की पुष्टि करेगा। बायो कम्पोस्टेबल प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माता या विक्रेता विपणन या विक्रय से पहले केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इस हेतु सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।**

(ख) कोई भी व्यक्ति जानते हुये या अन्यथा की दशा में सार्वजनिक स्थल में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक को, जो कि इस अधिसूचना में अनुमन्य प्लास्टिक है, को नहीं फेंकेगा।

2. धार्मिक स्थलों व संस्थानों, सिनेमाघरों, मॉल, होटल और रेस्तरां, कैफे, मोबाईल फूड काउन्टर या वैन, कैटरर्स और अन्य स्थानों जैसे शादी या पार्टी हॉल, दफ्तर व संस्थान या आउटडोर ईवेन्ट के स्वामी और प्राधिकरण उक्त उपबंधो का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु उत्तरदायी होंगे। इसके साथ–ही–साथ उनके द्वारा जनित प्लास्टिक अपशिष्ट के एकत्रण हेतु उनके परिसर में स्थान उपलब्ध कराया जायेगा व प्लास्टिक के एकत्रण के पश्चात् उसको उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीकृत रिसाईक्लरस को पुर्नचक्रण हेतु भेजा जायेगा।

3. बोतलबन्द पानी व शीतल पेय हेतु पॉलीइथायलीन टेरेफ्थलेट (पीईटी/पीईटीई) बोतलों के उत्पादकर्ता विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के तहत् परस्पर सहमत नियमों और शर्तों के अन्तर्गत एक ही खुदरा बिक्री नेटवर्क के माध्यम से क्रमशः पॉलेथिन टेरेफ्थलेट की बोतलों और प्लास्टिक अपशिष्ट को वापस लेंगे अथवा उनके उत्पाद द्वारा जनित प्लास्टिक अपशिष्ट के एकत्रण, परिवहन व सुरक्षित निस्तारण हेतु स्थानीय प्राधिकरण (नगर निकाय/ग्राम पंचायत) द्वारा किये गये खर्चों का भुगतान उनके द्वारा आवश्यक रूप से किया जायेगा।

4. ऐसी सभी उत्पादन इकाईयाँ जो बिन्दु संख्या–1(क)(एक) से बिन्दु संख्या–1(क)(तीन) मे निर्दिष्ट उत्पाद बना रहीं हैं, उनको इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि के छः माह के भीतर उपरोक्त उत्पादों का उत्पादन बन्द करना होगा।

5. उपरोक्त उपबंधो के उल्लंघन की दशा में निम्नानुसार जुर्माना आरोपित किया जायेगाः–

उल्लंघनकर्ता	जुर्माने की धनराशि
उत्पादकर्ता	रू0 5.00 लाख
परिवहनकर्ता	रू0 2.00 लाख
खुदरा विक्रेता/विक्रेता	रू0 1.00 लाख
व्यक्तिगत उपयोग	रू0 100/–
पुनः उल्लंघन में पाये जाने की दशा में सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता पर उपरोक्त का दोगुना अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।	

6. निम्नलिखित अधिकारी निर्देशों के कार्यान्चन और जुर्माना आरोपित करने हेतु अधिकृत होगें:–

1. जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी, जो तहसीलदार के पद से नीचे का ना हो।
2. नगर आयुक्त/स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी जो कि सैनेट्री सुपरवाईजर के पद से नीचे का ना हो।
3. पुलिस अधीक्षक या उनके द्वारा नामित अधिकारी, जो दरोगा के पद से नीचे का ना हो।
4. प्रभागीय वनाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी, जो रेंज अधिकारी से नीचे का पद ना हो।
5. आयुक्त, टैक्स विभाग या उनके द्वारा नामित अधिकारी, संयुक्त आयुक्त से नीचे का पद ना हो।
6. आयुक्त, परिवहन विभाग या उनके द्वारा नामित अधिकारी, संयुक्त आयुक्त से नीचे का पद ना धारण करता हो।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या उनके द्वारा नामित अधिकारी, सहायक अभियन्ता से नीचे का पद ना हो।

7. उपरोक्त अधिकृत अधिकारियों द्वारा एकत्र किये जाने वाले जुर्माने को सीधे उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग में **"अन्य प्राप्ति मद"**में जमा करायी जायेगी।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1)/ XXXVIII–1–21–13(11)/2001, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड़, नई दिल्ली.
2. सचिव, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष/सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, राज्य पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
12. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
13. आयुक्त, कर विभाग/परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड।
14. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
15. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्रिगणों के संज्ञानार्थ।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

16/2/21

(नेहा वर्मा)
अपर सचिव।

Government of Uttarakhand
Environment, Conservation & Climate Change Section
No. 84 /XXXVIII-1-20-13(11)/2001
Dehradun Dated: 16 February, 2021

Notification

Whereas, plastics are non-biodegradable and cause threat to the ecological system as they reduce the fertility of soil and thereby hamper the growth of plants, choke drains and sewer resulting in overflowing of gutters and if swallowed by cattle and wild animals, they may cause death by obstructing their intestine;

And whereas, the colour pigments present in the plastic contaminate food products wrapped in them and cause health hazards and some of it even carcinogenic;

And whereas, plastic products take hundreds of years for degradation, as they are not biodegradable, they also block the rainwater infiltration into the soil hindering recharge of ground water;

And whereas, the plastic bags when discarded can get filled with rainwater offering ideal breeding ground for vector borne diseases like malaria, dengue etc. and burning of plastics also releases carcinogenic and toxic substances like dioxins, furans and hydrogen cyanide, which pollute air as well as cause severe and chronic health problems;

And whereas, plastic waste and micro plastic cause danger to fresh and marine water bio-diversity and also hamper ecosystem services due to spreading of such waste in and around eco-systems, on tourists places, heritage sites, eco-fragile areas like- Bugyals, high altitude areas and on agriculture and forest areas.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section (1) of section 3 of the Uttarakhand Plastic and Other Non Biodegradable Garbage (Regulation of Use and Disposal) Act, 2013, the Governor is pleased to allow to impose the restriction and prohibition on plastic as follows: -

1. (a) No person, by himself or through another, shall knowingly or otherwise, **sale, trade, manufacture, import, store, carry, transport, use, supply or distribute** the following plastic/thermocol/Styrofoam items in the entire state of Uttarakhand.

(i) Polythene carry bags of any shape (with or without handle), thickness, size& colour; and non-woven poly propylene bags

Provided above restriction shall not be applicable on bio-compostable plastic bags and polybags more than 50 micron thickness used for handling, collection, transportation of the waste such as bio medical waste, municipal solid waste and hazardous waste.

(ii) Single use disposable cutleries made up of thermocol (polystyrene), polyurethane, Styrofoam and the like; or plastic such as plate,tray, bowl, cup, glass, spoon, fork, straw, knives, stirrer etc. of any size and shape.

(iii) Single use food packaging containers made up of recycled plastics of any size, shape, thickness and colour used to cover, carry, store food/liquid items.

Note: Compostable plastics shall confirm to the Indian Standard: IS 17088:2008. The manufacturers or seller of bio-compostable plastic carry bags shall obtain a certificate from the Central Pollution Control Board before marketing or selling.

(b) No person shall knowingly or otherwise, litter any public place with any plastic item allowed under this notification.

2. The authorities or owners of places of religious worship or institutions, multiplex, malls, hotels and restaurants, cafe, mobile food counters or vans, caterers and other such places like marriage or party halls, offices or institutions and the outdoor event shall be responsible for ensuring strict compliance of the aforesaid provisions and they shall provide space for collection of plastic waste within their campus and shall send it to the recyclers, duly registered with Uttarakhand Pollution Control Board.

3. Manufacturers of Products of Polyethylene Terephthalate (PET/PETE) bottles for bottled drinking water and soft drinks shall take back the Polyethylene Terephthalate (PET/PETE) bottles and plastic waste respectively through the same retail sales network under mutually agreed terms and conditions based on Extended Producer's Responsibility or they have to mandatorily compensate expenses incurred by the local authorities (Urban Local Bodies and Village Panchayats etc.) in collection, transportation and safe disposal of the plastic waste generated due to their products.

4. All manufacturing units engaged in manufacturing of the items as mentioned under clause 1(a)(i) to clause 1(a)(iii) shall have to stop manufacturing of such items within six months from the date of issue of this notification.

5. Any Violation of above provisions shall attract the penalty as follows: -

Violators	Amount of Penalty
Manufacturer	Rs 5.00 Lakh
Transporter	Rs 2.00 Lakh
Whole Sellers/ Traders	Rs 1.00 Lakh
Individual Users	Rs 100/-
For subsequent violation by the same legal entity shall attract twice the fine mentioned above.	

6. Following Officers are authorised for implementation of the directions and imposition of the penalty:-

i) District Magistrate or officer nominated by him not below the rank of Tehsildar.

ii) Municipal Commissioner/Executive Officer of the Urban Local Bodies or officer nominated by them not below the rank of sanitary supervisors.

iii) Superintendent of Police or officer nominated by him not below the rank of Inspector.

iv) Divisional Forest Officer or officer nominated by him not below the rank of Range officer.

v) Commissioner Tax Department or officer nominated by him not below the rank of joint commissioner.

vi) Commissioner Transport Department or officer nominated by him not below the rank of joint commissioner.

vii) Regional Officer, Pollution Control Board or officer nominated by him not below the rank of Asst. Engineer.

7. All the fines, so collected will be deposited with Finance department of Government of Uttarakhand under "Other Financial Receipt" Head.

(Anand Bardhan)
Principal Secretary

Letter No: (1) / XXXVIII-1-21-13(11)/2001, Dated as above.

Copy:

1. Secretary, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India.
2. Secretary, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India.
3. Chairman/Member Secretary, Cenetral Pollution Control Board, Government of India.
4. Chief Secretary, Government of Uttarakhand.
5. Secretary, Hon'ble Governor of Uttarakhand.
6. All Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary/Secretary (Incharge), Uttarakhand Secretariat.
7. Chief Resident Commissioner of Uttarakhand, New Delhi.
8. All Head of Department, Uttarakhand.
9. Commissioner, Kumaun/Garhwal, Uttarakhand.
10. All District Magistrate, Uttarakhand.
11. Director, State Environment, Conservation & Climate Change Directorated, Uttarakhand.
12. Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun, Uttarakhand.
13. Commissioner, Tax Department/Transport Department, Uttarakhand.
14. Private Secretary of the Hon'ble Chief Minister, Government of Uttarakhand.
15. All Private Secretary of the Hon'ble Minister, Government of Uttarakhand.
16. Guard File.

16/7/21

(Neha Verma)
Additional Secretary